प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-I** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संचालित की जाती है। प्रतिवेदन के इस हिस्से के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह अध्याय 31 मार्च 2020 एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्षों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के ट्रांजिशनल क्रेडिट, वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत रिफंड दावों के प्रसंस्करण, स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण, इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा, कर, ब्याज एवं जुर्माने की वसूली में विफलता पर लेखापरीक्षा पैरा प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-II** सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रतिवेदन के इस भाग को रा.रा.क्षे. दिल्ली के विधानसभा के समक्ष रखे जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले वे हैं जो वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए और साथ ही वे जो पहले के वर्षों में ध्यान में आए थे, लेकिन पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक हुआ, शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।